



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940

No. 812]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1111(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (2) और उप-धारा (4), धारा 139 की उपधारा (1) तथा धारा 469 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “लेखांकन मानक” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित ‘लेखांकन मानक’ अभिप्रेत है;

(ख) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ग) “लेखापरीक्षा मानक” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (7) में यथापरिभाषित ‘लेखापरीक्षा मानक’ अभिप्रेत है;

(घ) “लेखापरीक्षक” से किसी वैयक्तिक या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन निगमित किसी सीमित दायित्व भागीदारी सहित फर्म अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 139 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ङ) “प्राधिकरण” से इस अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (छ) “प्रभाग” से अभिप्रेत ऐसे विभाग से है जिसे प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों और कर्तव्यों को आयोजित करने और उसे करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है;
- (ज) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (झ) “पूर्णकालिक सदस्य” से इस अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है;
- (ण) “अल्पकालिक सदस्य” से प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित वही होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. प्राधिकरण द्वारा शासित कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियां.- (1) प्राधिकरण के पास धारा 132 की उपधारा (2) के अधीनलेखापरीक्षा मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन करने, सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करने या ऐसी धारा की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियों के लेखापरीक्षकों के लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षकों की जांच करने का अधिकार होगा, अर्थात्:-

- (क) ऐसी कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;
- (ख) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पांच सौ करोड़ रुपए से अन्यून की प्रदत्त पूंजी या एक हजार करोड़ रुपए से अन्यून के वार्षिक व्यापारावर्त या 500 करोड़ रुपए से अन्यून कुल वर्तमान ऋण, डिबेंचर और जमा वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां;
- (ग) बीमा कंपनियां, बैंककारी कंपनियां, विद्युत की आपूर्ति करने वाली कंपनियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम या इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अनुसार किसी निगमित कारपोरेट निकाय द्वारा शासित कंपनियां;
- (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित में प्राधिकरण को की गई सिफारिश से संबंधित किसी कारपोरेट निकाय या कंपनी या व्यक्ति या कारपोरेट निकाय की किसी श्रेणी या कंपनियां या एक से अधिक व्यक्ति; और
- (ङ) भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत कारपोरेट निकाय, जो खंड (क) से खंड (घ) में यथासंदर्भित भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय का अनुषंगी या सहायक कंपनी है, यदि ऐसे अनुषंगी या सहायक कंपनी की आय का मूल्य ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की समेकित आय या समेकित निवल आय के 20 प्रतिशत से अधिक हो; खंड (क) से खंड (घ) में संदर्भित, जैसा भी मामला हो।

(2) इन नियमों द्वारा शासित किसी कंपनी से भिन्न प्रत्येक विद्यमान कारपोरेट निकाय द्वारा इन नियमों के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्ररूप एनएफआरए-1 में, इन नियमों की प्रारंभ की तारीख से लेखापरीक्षक के ब्यौरे दिए जाएंगे।

(3) धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी से भिन्न भारत में गठित और इस नियम के अधीन शासित प्रत्येक कारपोरेट निकाय द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्ररूप एनएफआरए-1 में, ऐसे कारपोरेट निकाय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक के ब्यौरे दिए जाएंगे:

परंतु उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन शासित किसी कारपोरेट निकाय द्वारा प्ररूप एनएफआरए-1 में इसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक के ब्यौरे भी दिए जाएंगे।

(4) इस नियम के अधीन शासित किसी कंपनी से भिन्न कंपनी या कारपोरेट निकाय की सूचीबद्धता समाप्त होने या उसकी प्रदत्त पूंजी या व्यापारावर्त या कुल ऋण, डिबेंचर और जमा इसमें विहित सीमा से कम होने के पश्चात् तीन वर्षों की अवधि तक प्राधिकरण के नियंत्रण में रहेगा।

4. प्राधिकरण के कार्य और कर्तव्य.- (1) प्राधिकरण उच्च गुणवत्ता के लेखांकन और लेखापरीक्षा मानक स्थापित करते हुए कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों

की प्रभावी निगरानी करते हुए नियम 3 के अधीन शासित कंपनियों और कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य सहायकों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा करेगा।

(2) प्राधिकरण, विशेष रूप से और पूर्ववर्ती सामान्य नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (क) नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों और कारपोरेट निकायों में नियुक्त लेखापरीक्षकों के व्यौरे रखना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु लेखांकन मानक और लेखापरीक्षा मानकों की सिफारिश करना;
- (ग) लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करना तथा उसका प्रवर्तन करना;
- (घ) ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले व्यवसायिकों की सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना;
- (ङ) लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षक मानकों के अनुपालन के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना;
- (च) लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षक मानकों को स्थापित करने तथा इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना; और
- (छ) ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्य करना जो पूर्वोक्त कृत्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक हो या उसमें अनुपंगिक हो।

(3) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों, सीमाओं और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसमें नियम बनाने की शक्ति से भिन्न अपनी कोई शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

5. वार्षिक विवरणी.- नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष ऐसे प्ररूप में विवरणी फाइल करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

6. लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों की सिफारिश करना.- (1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु लेखांकन मानक या लेखापरीक्षक मानक की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (क) नए लेखांकन मानक या लेखापरीक्षक मानक के प्रस्ताव के संबंध में या विद्यमान लेखांकन मानक या लेखापरीक्षक मानक में संशोधन हेतु भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से सिफारिश प्राप्त करेगा;
- (ख) खंड (क) के अधीन प्राप्त सिफारिशों के संबंध में, यदि आवश्यक हो, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा;

(2) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने से पूर्व ऐसी रीतियों, जो वह ठीक समझे सिफारिशों और अतिरिक्त सूचनाओं पर, विचार करेगा।

7. लेखांकन मानकों की निगरानी करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.-

(1) प्राधिकरण, नियम 3 के अधीन नियंत्रित कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम के अधीन लेखांकन मानक की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय, जैसा भी मामला हो, के वित्तीय विवरण की समीक्षा कर सकता है, और यदि अपेक्षित हो, ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय इसके लेखापरीक्षक को लिखित सूचना द्वारा ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय से संबंधित अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण संगत दस्तावेज, सूचना में यथाविहित उचित समय के भीतर उपलब्ध कराने के निदेश दे सकता है।

(2) प्राधिकरण ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण हेतु कंपनी या कारपोरेट निकाय के अधिकारियों या इसके लेखापरीक्षक की वैयक्तिक उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है।

(3) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक अपने वेबसाइट पर गैर अनुपालन संबंधी कारणों को ऐसी रीति जैसा कि उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

(4) यदि प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि किसी लेखांकन मानक का उल्लंघन किया गया है या किया जा सकता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच या प्रवर्तन कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

8. लेखापरीक्षा मानक की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना.- (1) प्राधिकरण, नियम 3 के अधीन शासित कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा मानक की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगा:—

- (क) लेखापरीक्षा से संबंधित चालन कागजों और संचार (जिसमें लेखापरीक्षा योजना और अन्य लेखापरीक्षा दस्तावेज भी शामिल हैं) की समीक्षा करना;
 - (ख) लेखापरीक्षक की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली दस्तावेजीकरण की रीति का मूल्यांकन करना; और
 - (ग) लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के ऐसे अन्य परीक्षण जैसा कि आवश्यक या उचित समझे, करना।
- (2) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है कोई अपनी शासित पद्धति और आंतरिक प्रक्रियाओं जिसे लेखापरीक्षा गुणवत्ता बढ़ाने, प्रतिष्ठा की रक्षा करने और जोखिम कम करने जिसमें लेखापरीक्षक की विफलता का जोखिम भी शामिल हैं की रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट के संबंध में ऐसी कार्रवाई, जैसा भी उचित समझे करेगा।
- (3) प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षक के आचरण के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त सूचना की मांग या लेखापरीक्षक की वैयक्तिक उपस्थिति अपेक्षित की जा सकेगी।
- (4) प्राधिकरण संगत उद्योग की लेखापरीक्षा में अपने अधिकारियों द्वारा या पर्याप्त अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यकलापों की निगरानी और प्रवर्तन करेगा।
- (5) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक अपने वेबसाइट पर गैर अनुपालन संबंधी कारणों को ऐसी रीति जैसा कि उचित समझे, प्रकाशित करेगा।
- (6) प्राधिकरण जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा न करने के कारण न हो और इन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, तब तक स्वामित्व संबंधी या गोपनीय सूचना प्रकाशित नहीं करेगा।
- (7) प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को सूचना हेतु पृथक रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें स्वामित्व संबंधी या गोपनीय सूचना विहित हो।
- (8) यदि प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि किसी लेखापरीक्षक द्वारा किसी कानून या व्यवसायिक या अन्य मानक का उल्लंघन किया गया है या किया जा सकता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच या प्रवर्तन कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

9. सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना और उसे बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाना.—

- (1) प्राधिकरण, अपनी समीक्षा के आधार पर किसी लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने जिसमें उनकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बदलाव शामिल हैं, के उपाय करने और समयसीमा सहित विस्तृत योजना विनिर्दिष्ट करने के निदेश दे सकता है।
- (2) यह लेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपेक्षित सुधार करें और इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजे, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कैसे प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन किया गया है।
- (3) प्राधिकरण लेखापरीक्षक द्वारा किए गए सुधारों की निगरानी करेगा और लेखापरीक्षक द्वारा की गई उन्नति पर निर्भर करते हुए, जैसा उचित समझे कार्रवाई करेगा।
- (4) प्राधिकरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों या कारपोरेट निकायों के लेखापरीक्षकों की सेवा गुणवत्ता की निगरानी से संबंधित मामले भेज सकेंगे या बोर्ड से ऐसे लेखापरीक्षकों या कंपनियों या कारपोरेट निकायों के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट या सूचना जैसा उचित समझे के विषय में पूछ सकेंगे।

(5) प्राधिकरण निरीक्षण या निगरानी कार्यकलापों के लिए विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

10. जांच की शक्ति.— (1) यदि प्राधिकरण द्वारा-

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामले में जांच के संदर्भ प्राप्त किए गए हैं;
- (ख) अनुपालना या निरीक्षण कार्यकलापों के आधार पर किसी मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है; या
- (ग) इस उद्देश्य के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, किसी व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामले में *स्वप्रेरणा* से जांच करने का विनिश्चय किया गया है;

तो प्राधिकरण जांच और अन्य कार्रवाई करने वाले अपने प्रभाग को मामला अग्रेषित करेगा।

(2) यदि, जांच के दौरान, प्राधिकरण के पास ऐसा विश्वास करने का साक्ष्य हो, कि किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षाओं जिसमें एक करोड़ या उससे अधिक की राशि का कपट शामिल है या हो सकता है, का अनुपालन नहीं किया है, तो वह अपने निष्कर्ष को केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ पर -

(क) नियम 3 में संदर्भित कंपनियों के लेखापरीक्षकों के विरुद्ध 'व्यवसायिक या अन्य कदाचार' के मामले के संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी और किसी अन्य संस्थान या निकाय द्वारा ऐसे लेखापरीक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी;

परंतु प्राधिकरण द्वारा इस नियम के अधीन जांच शुरू किए जाने के पश्चात् किसी अन्य संस्थान या निकाय द्वारा कदाचार के ऐसे मामलों में किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी;

(ख) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और तदधीन बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा नियम 3 में संदर्भित कंपनियों या कारपोरेट निकायों के लेखापरीक्षकों के अलावा अन्य के विरुद्ध व्यवसायिक या अन्य कदाचार के मामलों के संबंध में कार्यवाही जारी रहेगी।

11. अनुशासनात्मक कार्यवाही.—(1) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त संदर्भों या इसकी निगरानी, प्रवर्तन या निरीक्षण कार्यकलापों की कमियों या रिकॉर्ड पर अन्यथा उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, यदि प्राधिकरण को यह विश्वास हो कि धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन स्वीकार्य कार्यवाही करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तो प्राधिकरण द्वारा इस मामले को संबंधित विभाग में भेजा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षक को कारण बताओं सूचना जारी की जाएगी।

(2) कारण बताओं सूचना लिखित में होनी चाहिए और उसमें अन्य बातों के, निम्नलिखित कथन होगा -

- (क) अधिनियम या नियमों के उपबंध जिसके अधीन इसे जारी किया गया है;
- (ख) अभिकथित तथ्यों के ब्यौरे;
- (ग) अभिकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्यों के ब्यौरे;
- (घ) अधिनियम, नियम या लेखांकन मानक या लेखापरीक्षा मानक के उपबंध जिनका अभिकथित रूप से उल्लंघन हुआ है, अथवा वह रीति जिसने कथित रूप से जनहित को प्रभावित किया है।
- (ङ) अभिकथन प्रमाणित हो जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या जारी किए जाने वाले निदेश;
- (च) वह समयसीमा या रीति जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षक द्वारा कारण बताओं सूचना का उत्तर देना अपेक्षित होगा;
- (छ) कारण बताओं सूचना का उत्तर न दे पाने के परिणाम; और
- (ज) कारण बताओं सूचना का निपटान करने हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

- (3) कारण बताओं सूचना में संबंधित दस्तावेजों और जांच या अन्य अभिलेखों की रिपोर्ट से संगत भाग के उद्धरण की प्रतियां संलग्न की जाएंगी।
- (4) लेखापरीक्षक को निम्नलिखित रीति से कारण बताओं सूचना भेजी जाएगी, अर्थात्—
- (क) लेखापरीक्षक को उसके द्वारा या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण) द्वारा सम्यक रूप से रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, या
- (ख) इसके द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षक को या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण) द्वारा दिए गए ई-मेल पते में उचित इलेक्ट्रॉनिकी माध्यम से भेजा जाएगा।

परंतु यह कि जहां लेखापरीक्षक एक फर्म है तो—

- (क) फर्म को भेजी गई सूचना को सूचना भेजने की तारीख से उस फर्म के सभी भागीदारों या कर्मचारियों को भेजी गई सूचना समझी जाएगी;
- (ख) सूचना में फर्म से संबंधित भागीदार या भागीदारों, जो इस आरोप का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे के नाम का प्रकटीकरण करने के विषय में पूछा जा सकता है;
- (ग) वह भागीदार, जिसके नाम का फर्म द्वारा प्रकटीकरण किया गया है, फर्म के विरुद्ध आई सूचना का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगा, और पूर्व या वर्तमान किसी भागीदार द्वारा फर्म के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों का उत्तरदायित्व नहीं लिया गया तो, वह फर्म संपूर्णता में ऐसे अभिकथनों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी और कथित कदाचार की तारीख से उस फर्म के सभी भागीदार और कर्मचारी, इस अभिकथन का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (5) प्रभाग, प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सारांश प्रक्रिया के माध्यम से इस समनुदेशन के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित आदेश द्वारा कारण बताओ सूचना का निपटान करेगा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से सुनने की आवश्यकता या संगतता एक अवसर सम्मिलित है, और लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सभी सुनवाईयों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, संगत तथ्यों और परिस्थितियों और सामग्रियों को अभिलिखित करेगा।
- (6) कारण बताओ सूचना के निपटान आदेश में निम्नलिखित उपबंध होगा :—
- (क) कोई कार्रवाई नहीं;
- (ख) सावधानी;
- (ग) धारा 132 की उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (क) के अधीन लेखापरीक्षक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने और/या धारा 132 की उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (ख) के अधीन लेखापरीक्षक की नियुक्ति से रोकने या दोनों के लिए कार्रवाई होगी।
- (7) उप नियम(6) के अधीन पारित आदेश जब तक कि प्रभाग द्वारा अन्यथा उल्लिखित न हो और ऐसा करने के उचित कारण हों तब तक जारी होने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् ही प्रभावी होगा।
- (8) उप नियम (6) के अधीन पारित आदेश को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार लेखापरीक्षक को दिया जाएगा और इस आदेश की प्रति निम्नलिखित को दी जाएगी –

- (i) सभी मामलों में (क) केंद्रीय सरकार; और (ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान;
- (ii) धारा 139 की उपधारा (5) में संदर्भित कंपनी के मामले में भारत के नियंत्रक और महा-परीक्षक को;
- (iii) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को;
- (iv) बैंककारी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक को;
- (v) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को किसी बीमा कंपनी के मामले में;

(vi) ऐसे देश के संबंधित विनियामक को भारत से बाहर रहने वाले लेखापरीक्षक के मामले में, और इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

12. अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेशों के प्रवर्तन की रीति.-

(1) जहां नियम 11 के अधीन पारित आदेश किसी लेखापरीक्षक पर नकदी शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित है, लेखापरीक्षक द्वारा ऐसे आदेश के तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को शास्ति की राशि जमा की जाएगी।

परंतु यह कि, जहां लेखापरीक्षक, प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करता है, लेखापरीक्षक द्वारा अपील अधिकरण को नकदी शास्ति राशि का दस प्रतिशत जमा किया जाएगा।

(2) यदि लेखापरीक्षक, नियम 11 के अंतिम पारित आदेश के तीस दिनों के भीतर शास्ति की राशि का न तो भुगतान करता है और न ही आदेश के विरुद्ध अपील भी करता है तो प्राधिकरण बिना किसी कार्रवाई के पक्षपात के प्रत्येक कंपनी या कारपोरेट निकाय (जिसमें नियम 3 के अधीन न आने वाली कंपनियां भी सम्मिलित हैं) जिसमें वह लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है, को ऐसे गैर-अनुपालन के विषय में सूचित करेगा और ऐसी प्रत्येक कंपनी या निगमित निकाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नया लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा।

(3) जहां नियम 11 के अधीन पारित आदेश में लेखापरीक्षक के विरुद्ध शास्ति लगाई गई हो या लेखापरीक्षक को व्यवसायरत होने से रोका गया हो, तो वह आदेश प्रत्येक कंपनी या कारपोरेट निकाय जिसमें वह लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, को भेजी जाएगी।

(4) जहां नियम 11 के अधीन पारित आदेश में लेखापरीक्षक को व्यवसायरत रहने से रोका गया है या उप नियम (2) के अधीन आदेश पारित किया गया है, आदेश प्रत्येक कंपनी या निगमित निकाय (जिसमें नियम 3 के अधीन न आने वाली कंपनियां भी सम्मिलित हैं) जिसमें वह लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है को यह आदेश भेजा जाएगा और ऐसी प्रत्येक कंपनी या निगमित निकाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नया लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा।

13. गैर-अनुपालन के मामले में दंड.-

यदि कोई कंपनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या किसी लेखापरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह कंपनी और चूककर्ता कंपनी के प्रत्येक अधिकारी या लेखापरीक्षक या ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 450 के उपबंधों के अनुसार शास्ति लगाई जाएगी।

14. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की भूमिका.-

जांच, निगरानी, प्रवर्तन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित सभी मामलों की जांच और उसका निर्णय अध्यक्ष या किसी एक विभाग में कार्यरत किसी एक या एक से अधिक पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

15. सलाहकार समितियां, अध्ययन समूह और कार्यबल.- प्राधिकरण, अधिनियम के अधीन इसके कार्यों को प्रभावी रूप से करने हेतु सलाहकार समितियां, अध्ययन समूह और कार्यबल गठित कर सकेगा।

16. वित्तीय रिपोर्टिंग अधिवक्तता और शिक्षा.- प्राधिकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, सम्मेलन और प्रचार-प्रसार के माध्यम से लेखांकन मानक, लेखापरीक्षा मानक, लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व, लेखापरीक्षा गुणवत्ता और ऐसे अन्य मामलों के प्रति जागरूकता और उसके महत्व को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

17. सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा.- (1) प्राधिकरण और उससे सहबद्ध सभी व्यक्ति और संगठन प्राधिकरण के कार्य के उद्देश्य से उन्हें दी गई सूचना की संपूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखेंगे।

(2) प्राधिकरण, सूचना की संपूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसी संविदात्मक व्यवस्था, कर सकेगा जो आवश्यक हो।

18. हितों के विरोध से बचाव.- (1) प्राधिकरण, किसी भी अवसर में ऐसे किसी संविदा, व्यवस्था या संबंध में न तो प्रवेश करेगा या भाग लेगा जिसमें, प्रभावी, उचित संगत रीति से कार्यों और कर्तव्यों को करने में कथित रूप से बाधा आए या आने की संभावना हो।

(2) विशेष रूप से, प्राधिकरण या उससे सहबद्ध कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के अलावा किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की राशि, आस्तियां, दान, सहायता, उपहार या प्रायोजन नहीं लेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञाप्राप्त के अलावा अन्य किसी देयता, बाध्यता या प्रतिबद्धता नहीं करेगा।

19. अंतर्राष्ट्रीय संगम और अंतर्राष्ट्रीय सहायता.- (1) प्राधिकरण स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों और मानकों के क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगमों में ऐसी शर्तों जैसा उचित समझा जाए, के अनुसार सदस्य बन सकेगा।

(2) प्राधिकरण, ऐसी शर्तों, जैसा उचित समझा जाए, भारतीय विधि के अनुसार किसी लेखापरीक्षक की जांच में किसी विदेशी स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक को सहयोग दे सकेगा, या उससे सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल- I, पार्ट-I]

के. वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

<p>प्रारूप सं. एनएफआरए-1</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3(2) और 3(3) के अनुसरण में</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>प्राधिकरण को कारपोरेट निकाय द्वारा इसके लेखापरीक्षक के संबंध में नोटिस</p>
---	---	---

प्रारूप की भाषा अंग्रेजी हिंदी

प्रारूप भरने के लिए निर्देशिका देखें

नियमों के प्रारंभ की तारीख को कार्यरत कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक

नियम 3(3) में निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक

नियम 3(3) के परंतुक में निर्दिष्ट विदेशी कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक

1. (क) *कारपोरेट निकाय की पहचान संख्या _____
(ख) कंपनी की वैश्विक प्रस्थिति संख्या (जीएलएन) _____

2. (क) कारपोरेट निकाय का नाम _____
(ख) कारपोरेट निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता _____
(ग) *कारपोरेट निकाय का ई-मेल _____

3. *क्या संयुक्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई है हां नहीं
*लेखा परीक्षक (कों) की संख्या _____

1. (क) *लेखापरीक्षक का प्रवर्ग व्यक्तिगत लेखापरीक्षक की फर्म
(ख) *लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का खाता आयकर संख्या _____
(ग) *लेखापरीक्षक का या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम _____

(घ) *लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक की फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या _____

(ङ) *लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक फर्म का पता

पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

*शहर _____

*राज्य _____

देश _____

*पिन कोड _____

*लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक फर्म की ई-मेल आईडी

(च) *लेखा अवधि जिसके लिए नियुक्ति हुई से _____ (दिन/मास/वर्ष)
तक _____ (दिन/मास/वर्ष)

(छ) *नियुक्ति से संबंधित वित्तीय वर्ष (वर्षों) की संख्या _____

(ज) * क्या लेखापरीक्षक की नियुक्ति, यदि भारत में नियुक्त किया जा रहा है धारा 141 की उपधारा 3(छ) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में हुई हां नहीं

(झ) लेखापरीक्षकों या लेखापरीक्षक फर्म या उसके सदस्यों की उसी कंपनी में पिछली नियुक्ति के कार्यकाल का ब्यौरा जिसमें लेखापरीक्षण किया गया।

*वित्त वर्ष (वर्षों) की संख्या _____

संख्या	लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का नाम	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख

4.(क) *लेखापरीक्षक (कों) की नियुक्ति वार्षिक साधारण बैठक में की गई हां नहीं

(ख) यदि हां, वार्षिक साधारण बैठक की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

5.*नियुक्ति की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

6.(क) *क्या लेखापरीक्षक कार्यालय में लेखापरीक्षक की नियुक्ति आकस्मिक रिक्ति के कारण हुई

हां नहीं

(ख) *पद छोड़ने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत लेखापरीक्षक फर्म

(ग) *पद रिक्त करने वाले लेखापरीक्षक की सदस्य संख्या या लेखापरीक्षक फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या _____

(घ) * ऐसी रिक्ति की तारीख का उल्लेख करें _____

(ङ) *आकस्मिक रिक्ति के कारण

संलग्नक

1. कारपोरेट निकाय द्वारा भेजी गई सूचना की प्रतिलिपि;
2. *लेखापरीक्षक द्वारा लिखित स्वीकृति की प्रतिलिपि;
3. *कारपोरेट निकाय द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की प्रतिलिपि;
4. सी एंड एजी द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि;
5. अधिकरण के आदेश की प्रतिलिपि;
6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

संलग्नक
संलग्नक
संलग्नक
संलग्नक
संलग्नक
संलग्नक

संलग्नकों की सूची

--

[संलग्नक हटाएं]**घोषणा**

मुझे कारपोरेट निकाय के निदेशक बोर्ड द्वारा उनके संकल्प संख्या _____ तारीख _____ द्वारा इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्रारूप की विषय वस्तु और उसके अनुषंगिक विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी सुसंगत अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इसमें ऊपर दी गई सभी जानकारी जिसके अंतर्गत इस प्रारूप के संलग्नक भी हैं, सत्य, सही और पूर्ण हैं तथा इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई।

***डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए**

[डीएससी बॉक्स]

*पदनाम _____

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन; या प्रबंधक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी की स्थायी लेखा संख्या या मुख्य वित्तीय अधिकारी का डीआईएन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या _____

टिप्पण : कंपनी अधिनियमकी धारा 448 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन के लिए दंड का उपबंध है।

उपांतरण करें

फार्म चैक करें

पूर्व संवीक्षा करें

प्रस्तुत करें

इस ई-प्रारूप को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से कंपनी द्वारा दिए सत्यता के विवरणों के आधार पर रखा जाएगा।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2018

G.S.R. 1111(E).—In exercise of the powers conferred under sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

- 1. Short Title and Commencement.**— (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “accounting standards” means the ‘accounting standards’ as defined in clause (2) of section 2 of the Act;
 - (b) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (c) “auditing standards” means the ‘auditing standards’ as defined in clause (7) of section 2 of the Act;
 - (d) “auditor” means an individual or a firm including a limited liability partnership incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) or any other Act for the time being in force, who has been appointed as an auditor of a company or a body corporate under section 139 of the Act or under any other Act for the time being in force;
 - (e) “Authority” means the National Financial Reporting Authority constituted under sub-section (1) of section 132 of the Act;
 - (f) “chairperson” means the chairperson of the Authority;
 - (g) “Division” means a division established by the Authority for the purpose of organising and carrying out its functions and duties;
 - (h) “Form” means the Form annexed to these Rules;
 - (i) “full-time member” means a member who has been appointed as such under sub-section (3) of section 132 of the Act;
 - (j) “part-time member” means a member of the Authority other than a full-time member.
 (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Classes of companies and bodies corporate governed by the Authority.**— (1) The Authority shall have power to monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards, oversee the quality of service under sub-section (2) of section 132 or undertake investigation under sub-section (4) of such section of the auditors of the following class of companies and bodies corporate, namely:-
 - (a) companies whose securities are listed on any stock exchange in India or outside India;
 - (b) unlisted public companies having paid-up capital of not less than rupees five hundred crores or having annual turnover of not less than rupees one thousand crores or having, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than rupees five hundred crores as on the 31st March of immediately preceding financial year;
 - (c) insurance companies, banking companies, companies engaged in the generation or supply of electricity, companies governed by any special Act for the time being in force or bodies corporate incorporated by an Act in accordance with clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of sub-section (4) of section 1 of the Act;
 - (d) any body corporate or company or person, or any class of bodies corporate or companies or persons, on a reference made to the Authority by the Central Government in public interest; and
 - (e) a body corporate incorporated or registered outside India, which is a subsidiary or associate company of any company or body corporate incorporated or registered in India as referred to in clauses (a) to (d), if the income or networth of such subsidiary or associate company exceeds twenty per cent. of the consolidated income or consolidated networth of such company or the body corporate, as the case may be, referred to in clauses (a) to (d).
 (2) Every existing body corporate other than a company governed by these rules, shall inform the Authority within thirty days of the commencement of these rules, in Form NFRA-1, the particulars of the auditor as on the date of commencement of these rules.
(3) Every body corporate, other than a company as defined in clause (20) of section 2, formed in India and governed under this rule shall, within fifteen days of appointment of an auditor under sub-section (1) of section 139, inform the Authority in Form

NFRA-1, the particulars of the auditor appointed by such body corporate:

Provided that a body corporate governed under clause (e) of sub-rule (1) shall provide details of appointment of its auditor in Form NFRA-1.

(4) A company or a body corporate other than a company governed under this rule shall continue to be governed by the Authority for a period of three years after it ceases to be listed or its paid-up capital or turnover or aggregate of loans, debentures and deposits falls below the limit stated therein.

4. Functions and duties of the Authority.— (1) The Authority shall protect the public interest and the interests of investors, creditors and others associated with the companies or bodies corporate governed under rule 3 by establishing high quality standards of accounting and auditing and exercising effective oversight of accounting functions performed by the companies and bodies corporate and auditing functions performed by auditors.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, the Authority shall:—

- (a) maintain details of particulars of auditors appointed in the companies and bodies corporate specified in rule 3;
- (b) recommend accounting standards and auditing standards for approval by the Central Government;
- (c) monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards;
- (d) oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement in the quality of service;
- (e) promote awareness in relation to the compliance of accounting standards and auditing standards;
- (f) co-operate with national and international organisations of independent audit regulators in establishing and overseeing adherence to accounting standards and auditing standards; and
- (g) perform such other functions and duties as may be necessary or incidental to the aforesaid functions and duties.

(3) The Central Government may, by notification, and subject to such conditions, limitations and restrictions as may be specified therein delegate any of its powers or functions under the Act, other than the power to make rules, to the Authority.

5. Annual return. Every auditor referred to in rule 3 shall file a return with the Authority on or before 30th April every year in such form as may be specified by the Central Government.

6. Recommending accounting standards and auditing standards.— (1) For the purpose of recommending accounting standards or auditing standards for approval by the Central Government, the Authority—

- (a) shall receive recommendations from the Institute of Chartered Accountants of India on proposals for new accounting standards or auditing standards or for amendments to existing accounting standards or auditing standards;
- (b) may seek additional information from the Institute of Chartered Accountants of India on the recommendations received under clause (a), if required.

(2) The Authority shall consider the recommendations and additional information in such manner as it deems fit before making recommendations to the Central Government.

7. Monitoring and enforcing compliance with accounting standards.— (1) For the purpose of monitoring and enforcing compliance with accounting standards under the Act by a company or a body corporate governed under rule 3, the Authority may review the financial statements of such company or body corporate, as the case may be, and if so required, direct such company or body corporate or its auditor by a written notice, to provide further information or explanation or any relevant documents relating to such company or body corporate, within such reasonable time as may be specified in the notice.

(2) The Authority may require the personal presence of the officers of the company or body corporate and its auditor for seeking additional information or explanation in connection with the review of the financial statements of such company or body corporate.

(3) The Authority shall publish its findings relating to non-compliances on its website and in such other manner as it considers fit, unless it has reasons not to do so in the public interest and it records the reasons in writing.

(4) Where the Authority finds or has reason to believe that any accounting standard has or may have been violated, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned Division.

8. Monitoring and enforcing compliance with auditing standards.— (1) For the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standards under the Act by a company or a body corporate governed under rule 3, the Authority may:—

- (a) review working papers (including audit plan and other audit documents) and communications related to the audit;

- (b) evaluate the sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentation of the system by the auditor; and
 - (c) perform such other testing of the audit, supervisory, and quality control procedures of the auditor as may be considered necessary or appropriate.
- (2) The Authority may require an auditor to report on its governance practices and internal processes designed to promote audit quality, protect its reputation and reduce risks including risk of failure of the auditor and may take such action on the report as may be necessary.
- (3) The Authority may seek additional information or may require the personal presence of the auditor for seeking additional information or explanation in connection with the conduct of an audit.
- (4) The Authority shall perform its monitoring and enforcement activities through its officers or experts with sufficient experience in audit of the relevant industry.
- (5) The Authority shall publish its findings relating to non-compliances on its website and in such other manner as it considers fit, unless it has reasons not to do so in the public interest and it records the reasons in writing.
- (6) The Authority shall not publish proprietary or confidential information, unless it has reasons to do so in the public interest and it records the reasons in writing.
- (7) The Authority may send a separate report containing proprietary or confidential information to the Central Government for its information.
- (8) Where the Authority finds or has reason to believe that any law or professional or other standard has or may have been violated by an auditor, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned Division.

9. Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement.—

- (1) On the basis of its review, the Authority may direct an auditor to take measures for improvement of audit quality including changes in their audit processes, quality control, and audit reports and specify a detailed plan with time-limits.
- (2) It shall be the duty of the auditor to make the required improvements and send a report to the Authority explaining how it has complied with the directions made by the Authority.
- (3) The Authority shall monitor the improvements made by the auditor and take such action as it deems fit depending on the progress made by the auditor.
- (4) The Authority may refer cases with regard to overseeing the quality of service of auditors of companies or bodies corporate referred to in rule 3 to the Quality Review Board constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or call for any report or information in respect of such auditors or companies or bodies corporate from such Board as it may deem appropriate.
- (5) The Authority may take the assistance of experts for its oversight and monitoring activities.

10. Power to investigate.— (1) Where the Authority has-

- (a) received any reference from the Central Government for investigation into any matter of professional or other misconduct under sub-section (4) of section 132 of the Act;
- (b) decided to undertake investigation into any matter on the basis of its compliance or oversight activities; or
- (c) decided to undertake *suo motu* investigation into any matter of professional or other misconduct, after recording reasons in writing for this purpose,

it shall forward the matter to its Division dealing with enforcement for carrying out investigation and other action.

- (2) If, during the investigation, the Authority has evidence to believe that any company or body corporate has not complied with the requirements under the Act or rules which involves or may involve fraud amounting to rupees one crore or more, it shall report its findings to the Central Government.
- (3) On the commencement of these rules-

- (a) the action in respect of cases of professional or other misconduct against auditors of companies referred to in rule 3 shall be initiated by Authority and no other institute or body shall initiate any such proceedings against such auditors:

Provided that no other institute or body shall initiate or continue any proceedings in such matters of misconduct where the Authority has initiated an investigation under this rule;

- (b) the action in respect of cases of professional or other misconduct against auditors of companies or bodies corporate other than

those referred to in rule 3 shall continue to be proceeded with by the Institute of Chartered Accountants of India as per provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations made thereunder.

11. Disciplinary proceedings.— (1) Based on the reference received from the Central Government or findings of its monitoring or enforcement or oversight activities, or on the basis of material otherwise available on record, if the Authority believes that sufficient cause exists to take actions permissible under sub-section (4) of section 132, it shall refer the matter to the concerned division, which shall cause a show-cause notice to be issued to the auditor.

(2) The show-cause notice shall be in writing, and shall, *inter alia*, state-

- (a) the provisions of the Act or rules under which it has been issued;
- (b) the details of the alleged facts;
- (c) the details of the evidence in support of the alleged facts;
- (d) the provisions of the Act, rules or the accounting standards or auditing standards thereunder allegedly violated, or the manner in which the public interest is allegedly affected;
- (e) the actions that the Authority proposes to take or the directions it proposes to issue if the allegations are established;
- (f) the time limit and the manner in which the auditor is required to respond to the show-cause notice;
- (g) the consequences of failure to respond to the show-cause notice; and
- (h) the procedure to be followed for disposal of the show-cause notice.

(3) The show-cause notice shall enclose copies of documents relied upon and extracts of relevant portions from the report of investigation or other records.

(4) The show-cause notice shall be served on the auditor in the following manner, namely -

- (a) by sending it to the auditor at the address provided by him or provided by the Institute of Chartered Accountants of India (if required by the Authority) by registered post with acknowledgement due; or
- (b) by an appropriate electronic means to the email address of the auditor provided by him or it or provided by the the Institute of Chartered Accountants of India (if required by the Authority):

Provided that where the auditor is a firm -

- (a) a notice to a firm shall be deemed to be a notice to all the partners or employees of that firm as on the date of service of notice;
- (b) the notice shall call upon the firm to disclose the name or names of the partner or partners concerned who shall be responsible for answering the allegations;
- (c) the partner whose name is disclosed by the firm shall be responsible for answering the notice against the firm, and if no partner, whether erstwhile or present, of the firm owns responsibility for the allegations made against the firm, then the firm as a whole shall be responsible for answering the allegations, and all the partners and employees of that firm as on the date of occurrence of alleged misconduct, shall be responsible for answering the allegations.

(5) The Division shall dispose of the show-cause notice within a period of ninety days of the assignment through a summary procedure as may be specified by the Authority, by a reasoned order in adherence to the principles of natural justice including where necessary or appropriate an opportunity of being heard in person, and after considering the submissions, if any, made by the auditor, the relevant facts and circumstances, and the material on record.

(6) The order disposing of a show-cause notice may provide for-

- (a) no action;
- (b) caution;
- (c) action for imposing penalty against auditor under sub-clause (A) of clause (c) of sub-section (4) of section 132 or for debarring the auditor from engaging as such under sub-clause (B) of clause (c) of sub-section (4) of section 132 or both.

(7) The order passed under sub-rule (6) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order unless the Division states otherwise in the order along with the reason for the same.

(8) The order passed under sub-rule (6) shall be served on the auditor in the manner specified in sub-rule (3) and a copy of the same shall be sent

- (i) in all cases to - (a) the Central Government; and (b) the Institute of Chartered Accountants of India;

- (ii) in the case of a company referred to in sub-section (5) of section 139 to the Comptroller and Auditor General of India;
- (iii) in the case of a listed company to the Securities and Exchange Board of India; (iv) in the case of a bank or a non-banking finance company to the Reserve Bank of India;
- (iv) in the case of a bank or a non-banking finance company to the Reserve Bank of India;
- (v) in the case of an insurance company to the Insurance Regulatory and Development Authority of India;
- (vi) in case the auditor is resident outside India to concerned regulator of such country;
- and the same shall be published on the website of the Authority.

12. Manner of enforcement of orders passed in disciplinary proceedings.— (1) Where the order passed under rule 11 relates to imposition of a monetary penalty on any auditor, the auditor shall deposit the amount of penalty with the Authority within thirty days of the order:

Provided that where the auditor prefers an appeal against the order of the Authority, it shall deposit ten per cent. of the amount of the monetary penalty with the Appellate Tribunal.

(2) If, within thirty days of the order passed under rule 11, the auditor neither pays the penalty nor appeals against the order, the Authority shall, without prejudice to any other action, inform about such non-compliance to every company or body corporate (including those not covered by rule 3) in which the auditor is functioning as auditor and every such company or body corporate shall appoint a new auditor in accordance with the provisions of the Act.

(3) Where the order passed under rule 11 imposes a penalty on the auditor or debars the auditor from practice, the order shall be sent to every company or body corporate in which the auditor is functioning as auditor.

(4) Where the order passed under rule 11 debars the auditor from practice or the order under sub-rule (2) is passed, the order shall be sent to every company or body corporate (including those not covered by rule 3) in which the auditor is functioning as auditor and every such company or body corporate shall appoint a new auditor in accordance with the provisions of the Act.

13. Punishment in case of non-compliance.— If a company or any officer of a company or an auditor or any other person contravenes any of the provisions of these rules, the company and every officer of the company who is in default or the auditor or such other person shall be punishable as per the provisions of section 450 of the Act.

14. Role of chairperson and full-time members.— All matters related to, investigation, monitoring, enforcement and disciplinary proceedings shall be examined and decided by the chairperson or any one or more of the full-time members, acting through one of the Divisions.

15. Advisory committees, study groups and task forces.— For the effective performance of its functions under the Act, the Authority may constitute advisory committees, study groups and task forces.

16. Financial reporting advocacy and education.— The Authority shall take suitable measures for the promotion of awareness and significance of accounting standards, auditing standards, auditors' responsibilities, audit quality and such other matters through education, training, seminars, workshops, conferences and publicity.

17. Confidentiality and security of information.— (1) The Authority and all persons and organisations associated with it shall maintain complete confidentiality and security of the information provided to them for the purpose of the work of the Authority.

(2) The Authority may enter into such contractual arrangements as may be necessary in order to maintain complete confidentiality and security of the information.

18. Avoidance of conflict of interest.— (1) The Authority shall not enter into any contract, arrangement or relationship or participate in any event that may, or is likely to be perceived to, interfere with its ability to perform its functions and duties in an effective, fair and reasonable manner.

(2) In particular the Authority or any person associated with it shall not receive any funds, assets, donations, favours, gifts or sponsorships from any source other than the Central Government and shall not enter into any liabilities, obligations or commitments except as permitted by the Central Government.

19. International associations and international assistance.— (1) The Authority may become a member of regional or international associations of independent audit regulators and standard-setters on such terms as it deems fit.

(2) The Authority may provide assistance to, or receive assistance from, foreign independent audit regulators in investigation of an auditor in accordance with Indian laws on such terms as it deems fit.

[F. No. 1/4/2016-CL-I, Part-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

FORM NFRA-1

[Pursuant to section 132 of the Companies Act, 2013 and Rule 3(2) and 3(3) of the National Financial Reporting Authority Rules, 2018]


Notice to the Authority by a body corporate regarding its auditor

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for Filing the form.

Auditor of a body corporate functioning as on the date of commencement of the Rules

Auditor of a body corporate referred to in rule 3(3)

Auditor of a foreign body corporate referred to in proviso to rule 3(3)

1.(a) *Identity number of body corporate

(b) Global Location Number(GLN)

2. (a) Name of the body corporate

(b) Address of the Registered Office

of the Body Corporate

(c) *email id of the body corporate

3. *Whether joint auditors have been appointed Yes No

*Number of auditor(s) appointed

I. (a) *Category of auditor

Individual Auditor's firm

(b) *Income-tax permanent account number of auditor or auditor's firm

(c) *Name of the auditor or auditor's firm

(d) *Membership number of auditor or auditor's firm registration number

(e) *Address of the auditor or auditor's firm

Line I

Line II

*City

*State

Country

*Pin code

*e-mail ID of the auditor or auditor's firm

(f) *Period of accounts for which appointed From (DD/MM/YYYY)
To (DD/MM/YYYY)

(g) *Number of financial year(s) to which appointment relates

(h) *Whether the appointment of auditor, if being appointed in India, is within the limits specified in section 141(3)(g) Yes No

(i) Specify the tenure of previous appointment(s) of the auditor or auditor's firm or its member in the same company in which audit was conducted.

*Number of financial year(s)

S. No.	Person appointed as auditor	Financial year Start date	Financial year End date

4. (a) *Whether auditor(s) have been appointed in Annual general meeting (AGM) Yes No

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

5. *Date of appointment (DD/MM/YYYY)

6. (a) *Whether auditor is appointed due to casual vacancy in the office of auditor

Yes No

(b) *Person vacated the office Individual Auditor's firm

(c) *Mention the membership number of auditor or Registration number of auditor's firm who has vacated the office

(d) *Mention the date of such vacancy

(e) *Reasons of the casual vacancy

Attachments

List of attachments

1. Copy of the intimation sent by body corporate
2. *Copy of written consent given by auditor;
3. *Copy of resolution passed by the body corporate;
4. Copy of the letter of appointment from C&AG
5. Copy of the order of the Tribunal
6. Optional attachments, if any.

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the body corporate vide resolution number * dated* to sign this form and declare that all the relevant requirements of Companies Act, 2013 and rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

*Designation

*Director identification number of the director; or

DIN or PAN of the manager/CEO/CFO; or

Membership number of the Company Secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of the Companies Act which provide for punishment for false statement.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company